

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या-65/2026

GCMS No.- 2026/74

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री भंवरूलाल पुत्र सांवलराम, वेस्ट जक्शन भट्टा चौराहा के नजदीक मेड़तासिटी, तहसील-मेड़ता

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम
गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा।

निर्णय

दिनांक :-08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय ने यह प्रार्थना-पत्र गैर सायल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेज कर पावती होने के बावजूद उनकी ओर से आज तक कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

प्रार्थी की प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 18.02.2026 को श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री रामनिवास बेरवाल, श्री ओमेन्द्र कुमार, श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षकगण द्वारा गैर सायल की होटल पर पहुँचकर जाँच करने पर पाया गया कि मौके पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर 01 घरेलू




कलक्टर नागौर

गैस सिलेण्डर को एलपीजी के ईंधन के रूप में कार्य लिया जाकर चुल्हों पर विभिन्न खाद्य सामग्री/चाय/कॉफी बनायी जा रही थी तथा जाँच के समय एक घरेलू गैस सिलेण्डर दूकान पर ओर पाया गया। दूकानदार से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं।

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त का वजन	शुद्ध गैस का वजन
1.	इण्डेन	562835	15.8 Kg	15.8 Kg	00 Kg
2.	इण्डेन	900351	16.5 Kg	15.6 Kg	0.9 Kg

इस प्रकार होटल मालिक का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर पाये गये उपरोक्त सिलेण्डरों को जब्त कर श्री प्रहलादसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी रासलियावास तहसील रियांबड़ी हाल मैसर्स भारत गैस सर्विस मेड़ता गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में प्रकरण के निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए गये हैं।

अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है एवं न ही प्रकरण का कोई प्रतिरोध पेश किया है। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल भंवरूलाल स्वयं के हस्ताक्षर है जिससे यह प्रकट है कि जब्ती कार्यवाही गैर सायलान की उपस्थिति में की गई है एवं उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज कार्यवाही के समय पेश नहीं किये हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा बिना विधिक गैस कनेक्शन के ही घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग/भण्डारण किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।





कलक्टर नगौर

अतः प्रकरण में जब्त सुदा उपरोक्त 02 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।



निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर,
नागौर